

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 563

आदेश - फलक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम - 129)

सरकार
बनाम
अज्ञात

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला - गुमला

वाद सं० :- 35 / 2019-20

वाद का प्रकार :- अधिहरण (Confiscation)

आदेश


अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, गुमला के पत्रांक-301/अप० शा० दिनांक-22.02.2020 द्वारा सिसई थाना काण्ड सं०-148/2019 दिनांक-06.11.2019 धारा- 379/411 भा०द०वि० एवं 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली- 2004 तथा 09/13 Jharkhand minerals prevention of illegal mining Transportation and storage Rule-2017 के अर्न्तगत जप्त ट्रैक्टर गाडी नं०- JH07G-4812, ट्रैक्टर गाडी नं०- JH07H-2385 डाला सं०- JH07H-3928 एवं ट्रैक्टर गाडी नं०- JH07G-9612 जिसमें अवैध रूप से बालू चोरी कर ले जाने के आरोप में जप्त वाहनों को राज्यसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्राप्त है।


उपरोक्त अधिहरण वाद सं०-35/2019-20 व्यवहार न्यायालय में लंबित होने के कारण संबंधित न्यायालय में वाद का निष्पादन पूर्ण होने तक वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पुलिस अधीक्षक गुमला/सहायक लोक अभियोजक, गुमला को निदेश दिया जाता है कि व्यवहार न्यायालय में वाद का निष्पादन होने की सूचना अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उपरान्त उक्त वाद पर पुनः सुनवाई हेतु आवश्यक कार्य की जा सके।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक गुमला/सहायक लोक अभियोजक, गुमला को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित


22.03.22
उपायुक्त,
गुमला


22.03.22
उपायुक्त,
गुमला